न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 59/2017 (2017/00150)

तारीख दायरा—28.07.2017

तारीख निर्णय—25.01.2021

1. श्री ताराशंकर पिता लादुराम जोशी उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्रीमती प्रताबीबाई पत्नी मोहनलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री अशोक पिता मोहनलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री रमेश पिता मोहनलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री कमलेश पिता डालचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री सागरमल पिता डालचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती लीलाबाई पिता डालचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
7. श्रीमती सुशीलालबाई पिता डालचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
8. श्री बंशीलाल पिता मनरूप उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से— श्री कुशालसिंह राणावत

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा पदराडा पटवार हल्का पदराडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 के खाता संख्या 555 में वर्णित कुल आराजीयात कित 3 रकबा 0.1750 है0 भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 1025 रकबा 0.0600 है0 भूमि वादी के हिस्से में रखी हैं जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 से 7 का 1/3 हिस्सा निहित होकर उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त भुमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त आराजीयात भूमि होकर हिस्से अनुसार मौके पर काबीज हो काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादी के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादी को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में [illegible]रता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन की डिकी पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:34 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला—उदयपुर (राज.)

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 बावजुद सूचना सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये प्रतिवादी संख्या 8 की तरफ से अधिवक्ता श्री कुशालसिंह राणावत का वकालत नामा पेश हुआ जिस पर उन्होने काई जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि का विविक विभाजन करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जिस पर तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। प्रतिवादी बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी वादग्रस्त भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा पदराडा पटवार हल्का पदराडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 के खाता संख्या 555 में वर्णित कुल आराजीयात किता 3 रकबा 0.1750 है0 भूमि भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जा कर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन , मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवाडा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की बंटवाडा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोंकन किया गया।

वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया हैं एवं भूमि भी पक्षकारान को लगभग– लगभग बराबर – बराबर दी गई है। जिससे वादी के हिस्से की भूमि का विविक विभाजन किया गया साथ ही विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी कि जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा पदराडा पटवार हल्का पदराडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2077 से 80 के खाता संख्या 2[illegible] में वर्णित आराजीयात किता कुल 3 रकबा 0.1750 है0 भूमि में आराजी संख्या 1025/1 रकबा 0.0200, आराजी संख्या 1035/1 रकबा 0.0250, आराजी संख्या 1041/1 रकबा 0.0150 कुल किता 3 रकबा 0.0600 है0 भूमि श्री ताराशंकर पिता लादुराम ब्राहम्ण के खातेदारी में रखी जाती है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1025मी0 रकबा 0.0400, आराजी संख्या 1035मी0 रकबा 0.0500, आराजी संख्या 1041मी0 रकबा 0. 0250 है0 कुल किता 3 रकबा 0.1150 है0 भूमि श्री बशीलाल पिता मनरूप जोशी के खातेदारी में रखी जाती है। एतदनुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी किया जावें । पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 251.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 59/2017 (2017/00150)

तारीख निर्णय–25.01.2021

1. श्री ताराशंकर पिता लादुराम जोशी उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्रीमती प्रताबीबाई पत्नी मोहनलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा। वगैरह।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री खुमाणसिंह राव
प्रतिवादी की ओर से– श्री कुशालसिंह राणावत

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 25.01.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा पदराडा पटवार हल्का पदराडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2077 से 80 के खाता संख्या 223 में वर्णित आराजीयात किता कुल 3 रकबा 0.1750 है0 भूमि में आराजी संख्या 1025/1 रकबा 0.0200, आराजी संख्या 1035/1 रकबा 0.0250, आराजी संख्या 1041/1 रकबा 0.0150 कुल किता 3 रकबा 0.0600 है0 भूमि श्री ताराशंकर पिता लादुराम ब्राहम्ण के खातेदारी में रखी जाती है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1025मी0 रकबा 0.0400, आराजी संख्या 1035मी0 रकबा 0.0500, आराजी संख्या 1041मी0 रकबा 0.0250 है0 कुल किता 3 रकबा 0.1150 है0 भूमि श्री बंशीलाल पिता मनरूप जोशी के खातेदारी में रखी जाती है।

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:34 IST
Reason: SelfAttested